1. इमरान पुत्र मोहम्मद फारुख, निवासी फकीरों का चौक नागौर ।
2. अलीमुदीन पुत्र नसीरुदीन, उम्र 63 साल, निवासी फकीरों का मौहल्ला पुलिस थाना कोतवाली नागौर ।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, नागौर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से - श्री राजेंद्रसिंह राठौड बागरासर, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, अपर लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	156/25.04.2026
Police Station, District and State	कोतवाली, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
Maximum punishment prescribed	आजीवन कारावास

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	04.06.2026
Total period of custody undergone	8 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:-अभियुक्त इमरान के विरुद्ध पूर्व से निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है-

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	धारा	स्थिति
1.	528/2016	कोतवाली	323, 341, 325, 308, 143 IPC	जैर-ट्रायल

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill

Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 12.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इमरान व अलीमुदीन की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2026, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी पेमाराम पुत्र भैराराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 01.04.2026 को उप पंजीयक कार्यालय नागौर में उसके समक्ष बेचाननामा श्रीमती कौशल्या देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद अग्रवाल वाली ने प्रस्तुत किया जो बेचाननामा नागौर तहसील के नाम ग्रुढला के कांकड में खेत खसरा नंबर 129 रकबा 16 बीघा किस्म बाराणी 2 में से प्रस्तावित आवासिय योजना देवनगर के प्लॉट नंबर 29 व 30 जिसका कुल रकबा 2500 वर्गफीट का बेचान मुन्ना खां पुत्र मोहम्मद अनवर के हक में निष्पादित/बेचान करना लिखा हुआ था । उक्त बेचाननामा में बेचानकर्ता श्रीमति कौशल्या देवी की पहचान ईमरान पुत्र मोहम्मद फारुख ने की । उक्त बेचाननामा पर एक साख ईमरान की एवं दूसरी अलीमुदीन पुत्र नसीरुदीन द्वारा डाली हुई थी । बेचाननामा में बेचानकर्ता द्वारा प्रतिफल की राशि प्राप्त करने व कब्जा प्राप्त करने का स्वीकार किया । बेचाननामा के साथ कौशल्या के पक्ष में निष्पादित 04.03.2013 की रजिस्ट्री की फोटोप्रति मय नक्शा व बेचानकर्ता, खरीददार, पहचानकर्ता व गवाह के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया जाकर स्टाम्प शुल्क जमा होने पर अंगूष्ठ व फोटो ली गयी । दिनांक 01.04.2026 को सभी ऑनलाईन दस्तावेज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद धारा 60 राजस्थान पंजीयन अधिनियम का प्रिंट दिनांक 02.04.2026 को निकाले गए । उक्त दस्तावेज के धारा 60 के प्रिंट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसके समक्ष एक प्रार्थना पत्र हरनारायण अग्रवाल ने पेश किया कि उसकी बहिन कौशल्या का कोरोना काल में देहांत हो चुका है और किसी महिला ने फर्जी कौशल्या बनकर के बेचाननामा प्रस्तुत किया है । यह बात उसके संज्ञान में आते ही उसने उस दस्तावेज को मंगवाया । वह उस दस्तावेज से संबंधित फर्जी बाबत जांच शुरु की व हरनारायण अग्रवाल से तमाम दस्तावेज मंगवाए गए एवं प्रारंभिक जांच में उन्होंने पाया कि उक्त दस्तावेज वास्तव में हि असल बात को छिपाते हुए फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके पंजीयन हेतु अन्य महिला द्वारा पंजीयन कार्यालय को मुगालते में रखते हुए पेश किया है । उक्त जांच के बाद उसने संपूर्ण पत्रावली श्रीमान जिला पंजीयक महोदय नागौर को अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही हेतु भेजी जिस पर दिनांक 24.04.2026 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की । इस दस्तावेज में जो कि एक सुनियोजित तरीके से एक गिरोह द्वारा षडयंत्र रचते हुए पंजीयन कार्यालय को मुगालते में रखते हुए फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर छदम प्रतिरुपण और दुष्प्रेरण के आधार पर मृत महिला की जगह श्रीमति कौशल्या नाम की महिला बनते हुए इसी नाम के आधार कार्ड पेश करते हुए जिसकी पहचान इमरान व गवाह अलीमुदीन बनते हुए पेश किया जिसमें बेचान मुन्ना खां के नाम का था । इन सभी को इस बात का ध्यान था कि श्रीमति कौशल्या देवी नाम की

महिला मर चुकी है फिर भी श्रीमति कौशल्या देवी नाम की फर्जी महिला द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके जमीन व रुपये हडपने की नियत से पेश किए .....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को प्राप्त होने पर पुलिस थाना कोतवाली ने मुकदमा नंबर 156/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से एक जमानत आवेदन धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष पेश किया गया, जो दिनांक 08.06.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए जाने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह हस्तगत जमानत आवेदन पेश किया गया है।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय हो । प्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाकर फंसाया गया है, प्रार्थीगण निर्दोष है । अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है । प्रकरण के विचारण में अभी समय लगने की संभावना है । प्रार्थीगण पर गवाहान पैरवी को बहकाने का आरोप भी नहीं है । प्रार्थीगण उपरोक्त पते के स्थाई निवासीगण है जहां उनकी चल व अचल संपत्ति स्थित होने से प्रार्थीगण के फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है । अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मौतबीर जमानत पर रिहा करने बाबत् निवेदन किया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा मृत महिला कौशल्या देवी के नाम पर दर्ज खेत खसरा संख्या 129 रकबा 16 बीघा में प्लॉट संख्या 29 व 30 का बेचान कौशल्यादेवी के स्थान पर किसी अन्य महिला को प्रतिस्थापित करते हुए किया गया । पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित माना गया है, जो कि अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

6. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मृत महिला कौशल्यादेवी के नाम पर दर्ज खेत खसरा नंबर 129 रकबा 16 बीघा किस्म बारानी 2 में से प्रस्तावित आवासीय योजना देवनगर के प्लोट संख्या 29 व 30 का बेचान कौशल्यादेवी का फर्जी आधार कार्ड इत्यादि तैयार कर कौशल्या देवी के स्थान पर किसी अन्य महिला को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 01.04.2026 को किया गया । उक्त बेचाननामा में मृत महिला कौशल्या देवी की पहचान इमरान पुत्र मोहम्मद फारुख द्वारा की गई व एक साख अलीमुदीन पुत्र नसीरुदीन द्वारा डाली गई जबकि कौशल्या देवी की मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो चुकी है जिसके संबंध में केस डायरी पर कौशल्यादेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र

मौजूद है । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद है। पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित माना गया है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है ।

8. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

9. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इमरान पुत्र मोहम्मद फारुख, निवासी फकीरों का चौक नागौर व अलीमुदीन पुत्र नसीरुदीन, उम्र 63 साल, निवासी फकीरों का मौहल्ला पुलिस थाना कोतवाली नागौर की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

10. इस आदेश की प्रति प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर

11. आदेश आज दिनांक 12.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर